

14.12.21.

बार-बार आवाज दिलावाये जाने के उपरान्त
भी न अपीलान्ट और न अधिवक्ता अपीलान्ट
उपास्थित आये । अतः पत्रावली अदम्य धरती व
अदम्य पैरवी में रवारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल सुमान करते हुए नम्बर से कम की जावे
बाद जाणा दारखिल दफ्तर से।

सु-प्रमुख अधिकारी,
पदेन

राजस्थान न्यायिक अधिकारी
जयपुर संभल-धीरपुर